न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी— मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 07/2017

—: अनवान :—

1. हेतराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी चक 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. हंसराज पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

..... **प्रार्थीगण**

बनाम

1. मूलाराम पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी 10 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

..........**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री सुरेन्द्र सुथार, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,
3. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

— :: निर्णय ::—

दिनांकः—14.08.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के पिता मूलाराम पुत्र टीकूराम जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम से चक 10 एम.सी. की खाता संख्या 12 पत्थर नम्बर 158/59(21) किला नम्बर 3 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 = 2.783 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 179/20(22) किला नम्बर 6 ता 10, 11 ता 22 = 4.554 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 179/3(41) किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 = 2.530 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 159/59(42) किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 = 2.530 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 159/60(51) किला नम्बर 4 ता 7, 14, 15, 16, 17 = 1.917 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 179/4(52) किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 12 = 1.480 हैक्टेयर कुल 15.541 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि इन्तकाल संख्या 128 डिक्री दिनांक 12.08.2016 द्वारा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के दादा टीकूराम वल्द रामूराम जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। प्रार्थीगण अप्रार्थी मूलाराम के जायज वारिसान हैं जैरप्रकरण भूमि का घरू बंटवारा करके पूर्व में प्रार्थीगण को दे रखी है जिस पर प्रार्थीगण काबिज हैं। अब प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को बेचान करना चाहता है तथा भूमि को बेचान करने हेतु अजनबी व्यक्तियों को दिखा रहा हैं, जब हमने इस बारे में अप्रार्थी संख्या 1 से पूछा तो उन्होने कहा कि उक्त भूमि मेरे नाम से हैं तथा मैं उक्त भूमि का बेचान करूंगा। इस पर प्रार्थीगण ने कहा कि आपने भूमि बांट कर दे रखी हैं तथा आपके द्वारा बांट कर दी हुई भूमि पर ही काश्त कर रहे है तथा इस भूमि में हमारा जन्म से हक व हिस्सा हैं। प्रथम दृष्टया मामला साबित हैं, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा ना पूरा होने वाला नुकसान साबित हैं। अतः [illegible] भूमि के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे व ना ही रकबा को रहन [illegible] करने के आदेश फरमावे जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:45:10 IST
Reason: SelfAttested

(प्र.स. 07 / 2017)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता हाजिर आया तथा अपना जवाब प्रस्तुत किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरप्रकरण रकबा पैतृक रकबा है, प्रार्थी का घोषणात्मक वाद पत्र जैरकार हैं। दावा के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रतिदावा प्रस्तुत किया। प्रतिदावा वादी के खिलाफ प्रस्तुत किया जाता हैं ना कि प्रतिवादी प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिदावा प्रस्तुत करे। इस प्रकार प्रतिदावा खारिज किये जाने योग्य होने से यह प्रार्थना पत्र भी काबिल निरस्ती के हैं। जब प्रतिदावा में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता हैं इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी का मय खर्चा निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रतिदावा के साथ प्रस्तुत किया हैं। प्रतिदावा वादी के खिलाफ प्रस्तुत किया जाता हैं और जिस वादी के खिलाफ प्रतिदावा माना जावे उसके नाम से कोई कृषि भूमि नहीं है। प्रतिवादी एक दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं कर सकता हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता हैं। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.01.2017 निरस्त की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:45:10 IST
Reason: SelfAttested